

२१/८/२३

प्राथमिक एवं अग्रप्राथमिक के अभिमात्र उपनदी।
एक बार अन्तराल-अन्तराल में आवृत्तें लगवाई
गई परन्तु प्राथमिक और अग्रप्राथमिक एवं उनके अभिमात्र
में से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः यह प्राथमिक
अदम दायरी हरम पैरवी में खरिज किया जाता
है। पत्रावली फ़ैसल श्रुमार होकर नम्बर से कम की
जाकर वाद त्वमील राखिल रफतार है। जोडेश सुजाया
गया।


अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)